"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 मार्च 2004—चैत्र 4, शक 1926

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-2/मबावि/द.प.नि./2004.—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (केन्द्रीय अधिनियम 28 सन् 1961) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के पालन के प्रयोजन से निम्नलिखित नियम बनाती है :—

2. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-**

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम, 2004 है तथा ये छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(दो) ये नियम राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध के संबंध में बनाये गये समस्त पूर्ववर्ती नियमों को अतिष्ठित करते हुए प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम 28 सन् 1961) ;

(ख) "सलाहकार मंडल" से अभिप्रेत है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह व सहायता देने, अधिनियम की धारा 8 ख की उपधारा (4) के अनुसार, गठित मंडल ;

(ग) "मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी" से अभिप्रेत है, वह अधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन राज्य सरकार ने कर्त्तव्य व दायित्व सौंपा है ;

(घ) "दहेज प्रतिषेध अधिकारी" से अभिप्रेत है, वह अधिकारी जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 ख के अधीन की गई है ;

(ड) "परिवीक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला परिवीक्षा अधिकारी अथवा अपर जिला परिवीक्षा अधिकारी अथवा नगर परिवीक्षा अधिकारी जिसकी नियुक्ति प्रोबेशन ऑफ आफेन्डर्स एक्ट, 1958 (केन्द्रीय अधिनियम 20 सन् 1958) के अधीन की गई है,

(च) "पुलिस अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य पुलिस विभाग का अधिकारी ;

(छ) "मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (दो) के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था अथवा संगठन ;

(ज) "जिला दण्डाधिकारी" तथा "शिकायतें" के वही अर्थ होंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अंतर्गत उन्हें कमशः समनुदेशित तथा परिभाषित किए गए है ;

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों व अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं किए गए है, के वही अर्थ होंगे जो कमशः, इस अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं ।

3. दहेज प्रतिषेध अधिकारी की अधिकारिता :-

क्षेत्र, जिसके विषय में दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अधिनियम की धारा 8 ख की उपधारा (1) के अंतर्गत, अधिकारिता का प्रयोग करना है वह इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र होगा ।

4. शिकायत करने हेतु प्रक्रिया :-

कोई भी व्यथित व्यक्ति अथवा माता-पिता अथवा ऐसे पीड़ित व्यक्ति के अन्य संबंधी अथवा मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा, व्यक्तिगत अथवा संदेशवाहक या डाक से, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को शिकायत, लिखित में की जा सकती है ।

5. दहेज प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा पालन किये जाने वाले अतिरिक्त कार्य :-

(एक) शिविर लगाकर, सूचना व प्रसार विभाग, पंचायत समिति तथा अन्य मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार द्वारा दहेज के खिलाफ तथा दहेज की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने का प्रयास करेगा ।

(दो) अधिनियम/नियमों के उपबंधों का कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण और गहन जाँच करेगा ।

(तीन) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध की शिकायत, किसी पक्षकार या व्यथित व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति/संगठन से स्वीकार करेगा ।

(चार) वह, अधिनियम के प्रयोजन के लिए निर्धारित प्ररूप-एक में एक पंजी संधारित करेगा जिसमें शिकायतें जाँच तथा उनके निष्कर्ष व अन्य सुसंगत सूचना लिखी जावेगी । वह प्रत्येक व्यक्तिगत प्रकरण हेतु सुसंगत अभिलेख सहित पृथक से नस्ती भी रखेगा ।

(पांच) वह सलाहकार मंडल के सदस्य सचिव/संयोजक के रूप में कार्य करेगा । सलाहकार मंडल के सदस्यों के साथ, उनकी आवश्यक सलाह व सहायता हेतु उसे नियमित संपर्क बनाये रखेगा । अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों के बारे में यथा आवश्यक उसे जिला दंडाधिकारी अथवा इस प्रायोजन के लिए राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत, किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करेगा ।

(छः) वह किसी विवाह में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उपहारों की सभी सूची अपनी अभिरक्षा में रखेगा और इस आशय से रखी पंजी में उसका प्रविष्टि करेगा । वह इन सूचियों की जांच भी करेगा तथा दहेज प्रतिषेध (वर-वधु के उपहारों की सूची का अनुरक्षण) नियम, 1985 के उपबंधों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा ।

(सात) वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण सावधानी, शालीनता तथा गोपनीयता व ऐसी रीति से करेगा कि पारिवारिक संबंधों की प्रतिष्ठा व समरसता बरकरार रहे ।

(आठ) दहेज प्रतिषेध अधिकारी का दृष्टिकोण प्रथमत: रोकथाम और सुधार मूलक होगी तथा अभियोजन की सिफारिश अथवा कार्यवाही केवल तभी की जाएगी जब समस्त उपाय और निर्देश प्रभावहीन हो जावें अथवा नियत समय के भीतर पक्षकार गण आदेश अथवा निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहें ।

(नौ) दहेज प्रतिषेध अधिकारी, प्राप्त ऐसी समस्त शिकायतों को अनुक्रम में संख्यावद्ध तथा विधिवत पंजीकृत करते हुए इन नियमों के अनुलग्नक प्ररूप-दो में बतायी गई पंजी में पंजीकृत करेगा ।

(दस) दहेज प्रतिषेध अधिकारी, शिकायत का सूक्ष्म परीक्षण करेगा और यदि वह पाता है कि शिकायत की प्रकृति और विषयवस्तु ऐसी है जो स्पष्टत: अधिनियम की धारा 3, 4 या 4 क अथवा 5 या 6 की सीमा में आते है तो अविलंब शिकायत की मौलिकता जाँचने, पक्षकारों से ऐसे साक्ष्य जुटाने के लिए जाँच करेगा ।

(ग्यारह) दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा उस पर की गई कार्यवाही अथवा विवाद के समझौता की प्रकृति का तिमाही प्रतिवेदन, मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, इन नियमों के अनुलग्नक प्ररूप-दो में भेजा जावेगा । मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी अथवा शासन द्वारा मांगे जाने पर अथवा समय-समय पर अन्य ब्योरे अथवा प्रतिवेदन दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा भेजा जायेगा ।

(बारह) दहेज प्रतिषेध अधिकारी स्थल जाँच कर तथा पक्षकारों अथवा गवाहों से मौखिक या लिखित ऐसे साक्ष्य जुटा सकता है अथवा पक्षकारों व गवाहों की सुनवाई की तिथि, पक्षकारों की सुविधा अथवा कष्ट को ध्यान में रखकर अपने कार्यालय में अथवा अपनी सुविधा की जगह में तय कर सकता है ।

(तेरह) दहेज प्रतिषेध अधिकारी इन नियमों के अनुलग्नक प्ररूप-तीन में शिकायत की सुनवाई की तिथि, समय व स्थान की सूचना, पक्षकारों और गवाहों को देगा ।

(चौदह) प्रत्येक याचिका की जाँच, सुनवाई की जायेगी तथा इसकी प्राप्ति तिथि के एक माह के भीतर निष्कर्ष पर पहुँचना होगा ।

(पंद्रह) याचिका अथवा शिकायत की नियत सुनवाई तिथि पर अथवा किसी अन्य तिथि पर जब ऐसी सुनवाई स्थगित हो, शिकायतकर्त्ता या याचिकाकर्त्ता उपस्थित नहीं होता, तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी स्वविवेक से, उपेक्षा के लिये शिकायत अथवा याचिका को निरस्त कर सकता है अथवा सुन सकता है तथा इसके गुण-दोष पर निष्कर्ष निकाल सकता है, जिसे केस

फाइल में दर्ज किया जावेगा ।

(सोलह) दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारियों, अथवा अपर जिला परिवीक्षा अधिकारियों, की सेवाओं का उपयोग, जानकारियाँ जुटाने अथवा जाँच करने अथवा जाँच के किसी भी चरण में सहायता के लिए अथवा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत शिकायत, याचिका अथवा आवेदन संबंधी कार्यवाही में कर सकेगा ।

(सत्रह) दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, परिवीक्षा अधिकारी आवश्यक जाँच, जानकारी एकत्र करेगा और इन ब्योरों अथवा प्रतिवेदन को तत्परता से अनुरोध अनुसार उन्हें भेजेगा ।

(अठारह) किसी दहेज को, जहाँ महिला के बदले, किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किया है, और ऐसे दहेज के अ-हस्तांतरण के बारे में महिला की शिकायत मिलती है जो अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, इसकी हकदार है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी पक्षकारों को, नियत समय के भीतर उसे हस्तांतरण करने का निर्देश जारी कर सकेगा ।

(उन्नीस) वह विशेष रूप से यह स्पष्ट करेगा कि उसकी अधिकारिता में होने वाले विवाह में वह अथवा उसका स्टाफ, पुलिस अधिकारियों के साथ वहाँ, यह देखने के लिए, कि अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, आ सकता है ।

(बीस) दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपनी अधिकारिता में संपन्न या प्रस्तावित, संभावित विवाह के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अपालन संबंधी आवश्यक जाँच करेगा ।

(इक्कीस) वह अपनी अधिकारिता में अधिक से अधिक संपन्न विवाहों के संबंध में उपयुक्त माध्यमों से उसे सुनिश्चित और पुष्टि करेगा कि अधिनियम के उपबंधों का पालन हुआ है तथा उनका उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(बाईस) दहेज प्रतिषेध अधिकारी अधिनियम के अधीन जाँच करते हुए अथवा जाँच के उद्देश्य से विवाह में जब वह उपस्थित हो, अपने कार्य के निष्पादन में पुलिस अधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों की मदद लेगा और यह पुलिस अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा वांछित सभी सहायता उसे मुहैया करावें ।

(तेईस) वह अधिनियम के अधीन प्रस्तुत शिकायत की जाँच में पुलिस तथा मामले के विचारण में न्यायालय की सहायता करेगा ।

(चौबीस) सलाहकार मंडल से अधिनियम के अधीन उनके कार्य-प्रणाली संबंधी विषयों पर वह सलाह प्राप्त करेगा ।

(पच्चीस) दहेज प्रतिषेध अधिकारी (सदस्य सचिव/सलाहकार मंडल का संयोजक)

सलाहकार मंडल के प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति, बैठक तिथि के एक पखवाड़े के भीतर, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार एवं जिला दंडाधिकारी को भेजेगा ।

(छब्बीस) वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी निष्पादन करेगा जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएँ ।

6. मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, कर्त्तव्य तथा कार्य :-

(एक) राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में दहेज प्रतिषेध संबंधी कार्य के प्रशासन व समन्वयन रखने के लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(दो) मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के कार्य में समन्वय करेगा और दहेज प्रथा रोकने, जनता के बीच जागरूकता और जागृति लाने हेतु जिम्मेवार रहेगा तथा दहेज प्रथा की बुराई को जड़ से मिटाने की दृष्टि से कार्यक्रम चलावेगा ।

(तीन) शासन द्वारा समय-समय पर वांछित ऐसे आंकड़े, तथा संबंधित विषयों तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यान्वियन की प्रगति पर वार्षिक प्रतिवेदन के निर्माण व प्रस्तुति के लिए मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी उत्तरदायी होगा ।

(चार) राज्य शासन के समस्त विभागों को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित प्रभाव के लिए अनुदेश जारी करेगा :-

(क) अपने विवाह के तुरंत बाद प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष को घोषणा पत्र भर कर देगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है । इस घोषणा पत्र में पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर होंगे ।

(ख) वर्ष में एक निर्दिष्ट दिन को दहेज प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाया जावेगा ।

(ग) विद्यालय और महाविद्यालयों व अन्य संस्थाओं के छात्रों को दहेज न लेने/देने की शपथ दिलाना ।

7. पक्षकारों द्वारा विवाह में उपहारों की सूची का प्रस्तुतीकरण :-

विवाह के एक माह के भीतर, किसी विवाह के पक्षकार गण अथवा

माता-पिता अथवा इनमें से कोई भी एक को, दहेज प्रतिषेध (वर-वधु को उपहार की सूची का अनुरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार तैयार उपहारों की सूची की एक प्रति, संबंधित दहेज प्रतिषेध अधिकारी को देना होगा ।

8. अधिकारियों के अभियोजन हेतु प्रक्रिया :-

दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा जाँच किये गये शिकायत के समस्त प्रकरणों में, प्रथम-दृष्ट्या अपराध होना जब पाया जाता है तो लिखित बयानों, कार्यवाही की सभी संबंधित प्रलेखों तथा अपने निष्कर्षो के सार के साथ, अपराधी के अभियोजन हेतु प्रतिवेदन, सक्षम दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । इस प्रतिवेदन को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम) की धारा 173 के अंतर्गत, प्रतिवेदन माना जावेगा ।

9. कल्याण संस्थाओं की मान्यता :-

(एक) कल्याण संस्था अथवा संगठन, प्रधानत: निम्नलिखित प्रकार के किसी भी कार्य में समर्पित हो तथा कम से कम तीन वर्षो तक उस क्षेत्र में असाधारण सेवा करता रहा हो, वही अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) की खंड (ख) के उप खंड (दो) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने का पात्र होगा ;

(क) समाज कल्याण कार्यो के अंतर्गत महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा तथा प्रशिक्षण ;

(ख) राज्य स्तर अथवा अखिल भारतीय स्तर का महिलाओं का संगठन, विख्यात महिला समाज अथवा महिलाओं का संगठन ;

(ग) सामाजिक सुरक्षा जिसमें निराश्रितों की देखभाल व सुरक्षा, बच्चों व महिलाओं का उद्धार ;

(घ) सामाजिक बुराई मिटाने में रूचि रखने वाले वकीलों का कोई संगठन ;

(दो) उप नियम (एक) के अंतर्गत मान्यता प्राप्ति का इच्छुक कोई कल्याण संस्था अथवा संगठन को इन नियमों के अनुलग्नक प्ररूप (चार) में राज्य सरकार को, प्रत्येक नियम, उप विधियों, संघ के अनुच्छेदों, सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची तथा गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा समाज अथवा समुदाय सेवा के विगत रिकार्ड की प्रति सहित आवेदन करना होगा ।

(तीन) संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसी जॉच के बाद तथा संगठन अथवा संस्था, जिसने इस संबंध में मान्यता पाने के लिए आवेदन किया है, की सेवाओं के विगत रिकार्ड और प्रकृति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद 5 वर्षो की अवधि के लिये मान्यता प्रदान कर सकता है, जिसका नवीनीकरण, नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकेगा ।

(चार) नियम 9 के उपनियम (दो) में विहित रीति से इन नियमों के अनुलग्नक प्ररूप (पांच) में नवीनीकरण अथवा मान्यता प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये, जिसे उप नियम (तीन) मे दी गई प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करेगा तथा संस्था अथवा संगठन के संतोषप्रद कार्य करने के फलस्वरूप मान्यता प्रदान/नवीनीकरण किया जावेगा ।

(पांच) यदि संगठन/संस्था का कार्य मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा अथवा अन्यथा असंतोषजनक पाया जाता है अथवा असंतोषजनक प्रतिवेदन मिलता है, तो संस्था अथवा संगठन को प्रदत्त मान्यता राज्य शासन वापस ले सकती है ।

10. सीमा व शर्ते जिसके अधीन दहेज प्रतिषेध अधिकारी पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है :-

(एक) दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय (पांच) के उपबंधों के सिवाय तथा छोड़कर अर्थात बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, उक्त संहिता के अंतर्गत, जॉच करने तथा सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रयोजन से पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होगी ।

(दो) अपने कार्यक्षेत्र में, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को जब कभी युक्तियुक्त आधार मिलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध घटित हो चुका है अथवा हो रहा है, अथवा होने वाला है, तथा किसी परिसर की तलाशी बिना वारंट अविलंब संभव नहीं है, वह अपने विश्वास का आधार जिला दंडाधिकारी को भेजकर, उन परिसरों की तलाशी बिना वारंट के भी ले सकता है ।

(तीन) उप नियम (दो)के अधीन, तलाशी लेने के पूर्व, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, मुहल्ला के दो या अधिक निवासियों को उपस्थित रहने तथा तलाशी का गवाह बनने के लिए बुलाएगा, जहाँ तलाशी लेनी है तथा लिखित में

उन्हें या उनमें से किसी को भी ऐसा करने का आदेश जारी कर सकेगा ।

(चार) कोई भी व्यक्ति बिना युक्तियुक्त कारण के इस नियम के अंतर्गत तलाशी में उपस्थित रहने तथा गवाह बनने से इंकार अथवा अवहेलना करता है, जबकि उसे ऐसा करने के लिए लिखित-आदेश दिया गया हो, तो माना जावेगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है ।

11. लोक सेवक के रूप में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की घोषणा :-

भारतीय दंड संहिता, 1860 ,की धारा 21 के अर्थो के भीतर प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक माना जावेगा ।

12. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण :-

शासन, मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी पुलिस अधिकारी अथवा उसे मदद करने वाले व्यक्ति तथा परिवीक्षा अधिकारी के विरूद्ध किसी भी बात के संबंध में जो सदभावनापूर्वक अथवा इस नियम अथवा अधिनियम के अनुपालन में किया गया हो, के लिए कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

13. निर्वचन :-

इन नियमों के निर्वचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु, उसे शासन को भेजा जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, सचिव.

प्ररूप -एक

(नियम 5 का उपनियम-चार देखें)

शिकायत/याचिका का पंजी

स. कं.	शिकायत की सूची	याचिकाकर्त्ता का नाम एवं पता	विवाहित जोड़ी के साथ संबंध	विवाह की नियत या संपन्न तिथि	याचिका/ शिकायत प्राप्त होने की तिथि	सुनवाई की तिथि	निराकरण की प्रकृति	अधिकारी के हस्ताक्षर	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप -दो

(नियम 5 का उपनियम-नौ देखें)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन के संबंध में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

स. क्र.	याचिका/शिकायत प्राप्ति का विवरण	किसके द्वारा नाम एवं पता	शिकायत/याचिका की प्रकृति	पंजीकरण दिनांक	की गयी कारवाई	विवाधक् के निपटारे की प्रकृति	अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक सहित	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9

दहेज प्रतिषेध अधिकारी

प्ररूप -तीन

(नियम 5 का उप नियम-तेरह देखें)

दहेज प्रतिषेध अधिकारी के समक्ष उपस्थिति हेतु सूचना

प्रति,

(व्यक्ति का नाम
जिसके विरूद्ध शिकायत
प्राप्त हुई है व पता)

(अपराध का संक्षिप्त उल्लेख करे) .... से संबंधित शिकायत के प्रमाण एवं सूचना को एकत्र करने के लिए जहाँ कही आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी, आप व्यक्तिगत रूप से दिनांक .... को .... बजे (समय) ....दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यालय .... (स्थान) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे ।

दिनांक दिन 200.... दहेज प्रतिषेध अधिकारी

(कार्यालय की मुद्रा)

प्ररूप-चार

(नियम 9 का उपनियम-दो देखें)

स्वैच्छिक कल्याण संस्थाओं/संगठनों की मान्यता हेतु आवेदन का प्ररूप

1. कल्याण संस्था/संगठन का नाम ....

2. पूरा पता ....

3. उद्देश्य एवं लक्ष्य ....
....

4. मुख्य संस्था/संगठन का नाम एवं पता ....

5. गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण ....

6. अनुदान मान्यता की अधिकारिता ....

7. पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है यदि हाँ तो दिनांक माह एवं वर्ष का विवरण एवं परिणाम

8. अन्य विवरण ....

संलग्न :-

(1)
(2)
(3)

स्थान :-
दिनांक:-

कल्याण संस्था/संगठन प्रमुख का हस्ताक्षर

प्ररूप -पांच

(नियम 9 का उपनियम-चार देखें)

कल्याण संस्था/संगठन के मान्यता का नवीनीकरण हेतु आवेदन का प्ररूप

1. कल्याण संस्था/संगठन का नाम पता ....
2. पूरा पता ....
3. विगत 5 वर्षो की उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण ....
4. मुख्य संस्था/संगठन का नाम एवं पता ....
5. प्रमाण पत्र कमांक, तिथि एवं समाप्ति का दिनांक ....
6. अन्य विवरण ....

स्थान:-
दिनांक:-

कल्याण संस्था/संगठन के प्रमुख का हस्ताक्षर